रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 25, 1991/चैत्र 4, 1913
No. 186] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 25, 1991/CHAITRA 4, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1991

का. आ. 210(अ):—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन राजधानी ऑयल्स एण्ड एक्सचेंज लि. दिल्ली द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त

शर्तों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ में अग्रिम संविदा के बारे में 3 अप्रैल, 1991 से 2 अप्रैल 1993 तक (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) की 2 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा मंजूर की गई मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[फा. सं. 12/2/आई/टी/91]

बी. एन. बहादुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 1991

S.O. 210(E).—The Central Government, having considered, in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Rajdhani Oils and Oilseeds Exchange Ltd., Delhi and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of two years from the 3rd April. 91 to 2nd April. 1993 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12|2|IT|91]

B. N. BAHADUR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991